न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/209/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/503

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
श्री सन्तोष कुमार जैन (M.Com.,L.L.B.) Retd. अति० प्रशासनिक अधिकारी (O.S.) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर निवास–B-140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर–301001 (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 07.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 03.01.2022

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 05.08.2021 के माध्यम से मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के स्वयं के दिनांकः 01.04.2017 से बकाया दो प्रमोशन क्रमशः "प्रशासनिक अधिकारी" एवं "संस्थापन अधिकारी" के संबंध में दिनांकः 05.08.2020 को प्रस्तुत प्रा०पत्र एवं तत्पश्चात् समय–समय पर पुनः प्रस्तुत प्रा० पत्रों पर की गई कार्यवाही के क्रम में 03 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा०पत्र दिनांकः 29.11.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्र सं. 2193 दिनांकः 10.12.2021 के माध्यम से जवाब नोटिस मय संलग्नक पेश किया गया। जवाब का विधिक परीक्षण किया गया।
6. अपीलार्थी का प्रश्नगत RTI आवेदन संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार द्वारा **प्रत्यर्थी कार्यालय को** जरिये पत्र सं. प018(24)राज–1/2021 जयपुर, दिनांकः 06.10.21 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया है।
7. प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अभिलेखानुसार सूचित किया जा चुका है जिसके अनुसार प्रश्नगत प्रमोशन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण सूचना देय नहीं है।

जिला कलक्टर, अलवर

8. अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों पर गौर/मनन किए जाने पर **अपीलार्थी की स्वयं के दो बकाया प्रमोशन्स को लेकर परिवेदना/समस्या/शिकायत परिलक्षित होती है** जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के स्तर पर निस्तारण किया जाना संभव नहीं है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं के बकाया प्रमोशन्स के संबंध में "प्रशासनिक अधिकारी" एवं "संस्थापन अधिकारी" का पद सृजित कराने हेतु राजस्व मण्डल, राज. अजमेर को प्रकरण भिजवाने हेतु अनुरोध किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधीन संधारित सूचना ही जारी की जाती है, अनुरोध–पत्रों के आधार पर कार्यवाही निष्पादित नहीं की जा सकती है।

9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।

10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. आज दिनांकः 03.01.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर